[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 1st June, 2011]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 1st June, 2011

No. 18/16/2010-3C I.—In pursuance of the provisions of Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 4 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby declares his intention to include within the municipality of Farrukh Nagar in district Gurgaon, the area lying between the existing boundaries as defined in erstwhile Punjab Government, Notification No. 4300, dated the 13th February, 1933 and Haryana Government, Local Government Department, Notification No. 25/20/83-2CI, dated the 28th August, 1984 and the boundaries now proposed as specified in the Schedule below.

Any inhabitant of the said municipality or local area in respect of which this Notification is published, who objects to the proposed inclusion of the said area, may submit his objection, if any, if writing through the Deputy Commissioner, Gurgaon to the Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh within a period of six weeks from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, after the expiry of which the State Government shall take such objections into consideration.

SCHEDULE

(Description of Boundary)

North : Starting from Point A Killa No. 10 of Rectangle No. 1 (North West Corner) toward East going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar up to Killa No. 22 of Rectangle No. 4 at Point B and from this point going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar up to Killa No. 5 of Rectangle No. 33 at Point C and from this point going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar up to Killa No. 23 of Rectangle No. 122 at Point D.

East : Starting from Point D Killa No. 23 of Rectangle No. 122 (North East Corner) toward South going alongwith Boundary of Revenue Farrukh Nagar up to Killa No. 14 of Rectangle No. 127 at Point E and from this Point going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar up to Killa No. 18 of Rectangle No. 152 at Point F and from this Point going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar up to Killa No. 1/2 of Rectangle No. 184/1 at Point G.

South : Starting from Point G Killa No. 1/2 of Rectangle No. 184/1 (South East Corner) toward West going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar up to Killa No. 22 of Rectangle No. 84 at Point H.

West : Starting from Point H Killa No. 22 of Rectangle No. 84 (South West Corner) toward North going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar up to Killa No. 20 of Rectangle No. 71 at Point I and from this Point going along with Boundary of Revenue Farrukh Nagar up to Killa No. 10 of Rectangle No. 1 at Point A.

K. K. JALAN,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Urban Local Bodies
Department.

48704—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 1st June, 2011]

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

(समितियां)

अधिसूचना

दिनांक 1 जून, 2011

संख्या 18/16/2010-3क I.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1793 का 24) की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, भूतपूर्व पंजाब सरकार, स्थानीय शासन विभाग (समितयां) अधिसूचना संख्या 4300, दिनांक 13 फरवरी, 1933 में तथा हरियाणा सरकार, स्थानीय शासन विभाग अधिसूचना संख्या 25/20/83-2क 1, दिनांक 28 अगस्त 1984 में, यथा परिनिश्चित विद्यमान सीमाओं तथा इसमें नीचे संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अब प्रस्तावित सीमाओं के बीच के क्षेत्र को फरूखनगर, जिला गुड़गांव की नगरपालिका के भीतर सम्मिलित करने के अपने आशय की घोषणा करते हैं।

उक्त नगरपालिका अथवा स्थानीय क्षेत्र जिसके सम्बंध में यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, का कोई भी निवासी जिसे उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में आक्षेप है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अपने आक्षेप, यदि कोई हो, उपायुक्त गुड़गांव के माध्यम से वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। जिसके समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ऐसे आक्षेपों पर विचार करेगी।

अनुसूची

(सीमाओं का ब्यौरा)

उत्तर : बिन्दु ए आयताकार संख्या 1 के किला नं० 10 (उत्तरी-पश्चिमी कोना) से आरम्भ होकर पूर्व की तरफ फरूखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते बिन्दु बी पर आयताकार संख्या 4 के किला नं० 22 तक तथा इसी बिन्दु से फरूखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुऐ बिन्दु सी पर आयताकार संख्या 33 के किला नं० 5 तक एवं इसी बिन्दु से फरूखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुऐ बिन्दु डी पर आयताकार संख्या 122 के किला नं० 23 तक।

पूर्व : बिन्दु डी आयताकार संख्या 122 के किला नं० 23 (उत्तरी-पूर्वी कोना) से आरम्भ होकर दक्षिण की तरफ फरूखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुऐ बिन्दु ई पर आयताकार संख्या 127 के किला नं0 14 तक तथा इसी बिन्दू से फरूखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु एफ पर आयताकार संख्या 152 के किला नं० 18 तक एवं इसी बिन्दु से फरूखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु जी पर आयताकार संख्या 184/1 के किला नं० 1/2 तक।

दक्षिण : बिन्दु जी आयताकार संख्या 184/1 के किला नं० 1/2 (दक्षिण-पूर्वी कोना) से आरम्भ होकर पश्चिम की तरफ फरूखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु एच पर आयताकार संख्या 84 के किला नं० 22 तक।

पश्चिम : बिन्दु एच आयताकार संख्या 84 के किला नं० 22 (दक्षिणी-पश्चिमी कोना) से आरम्भ होकर उत्तर की तरफ फरूखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु आई पर आयताकार संख्या 71 के किला नं० 20 तक एवं इसी बिन्दु से फरूखनगर की राजस्व सीमा के साथ-साथ चलते हुए बिन्दु ए पर आयताकार संख्या 1 के किला नं० 10 तक।

के० के० जालान,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

48704—C.S.—H.G.P., Chd.